भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4577
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा डेटा शुल्क में वृद्धि

4577. **श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः**
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि डिजिटल इंडिया ढांचे के तहत डेटा को बुनियादी आवश्यकता घोषित किए जाने के बावजूद, 2020 और 2025 की अवधि के दौरान, कुछ मामलों में 50-100% से अधिक की वृद्धि हुई है और जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल जैसे प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों के प्रीपेड मोबाइल डेटा की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसी अवधि के दौरान औसत घरेलू या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ मोबाइल डेटा की लागत में वृद्धि की तुलना करते हुए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आवश्यक डिजिटल संचार की लागत में इतनी तेज वृद्धि निम्न और मध्यम आय वाले नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे डिजिटल इंडिया के उद्देश्य कमजोर होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मोबाइल डेटा का निरंतर सामर्थ्य सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुंच की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नीति या नियामक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(2) के तहत दूरसंचार सेवाओं के मूल्य-निर्धारण और टैरिफ संरचनाओं को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है। इस अधिदेश के अनुसार, ट्राई ने दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 की

अधिसूचना के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र के लिए टैरिफ विनियमन शुरू किया। विगत दो दशकों से, दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ फॉरबीयरेंस के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि दूरसंचार कंपनियां मांग और आपूर्ति की बाज़ार शक्तियों के आधार पर अपने टैरिफ डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ट्राई द्वारा जारी वार्षिक कार्य-निष्पादन संकेतक - 2024-25 के अनुसार, विगत चार वित्तीय वर्षों (अनुबंध क) के लिए सभी दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए प्रति उपभोक्ता प्रति जीबी कुल औसत वायरलेस राजस्व प्राप्ति यह दर्शाती है कि विगत चार वर्षों के दौरान प्रति जीबी औसत वायरलेस डेटा राजस्व के रुझान में कमी आई है।

(ग) और (घ) हाल ही के आईटीयू डेटा (2024) के आधार पर फोरबियरेन्स की इस नीति के कारण भारत विश्व में सबसे कम टैरिफ वाले देशों में से एक है। टेली-डेंसिटी, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अब 80% से अधिक है और इंटरनेट प्रसार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है, वर्तमान में 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट प्रयोक्ता हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2003 के तहत विभिन्न नीतिगत उपाय भी किए हैं, जिनमें डिजिटल भारतनेट निधि (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) का दायरा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से बढ़ाकर अल्पसेवित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों तक करना शामिल है।

अनुबंध-क

लोकसभा के दिनांक 20.08.2025 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4577 "दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा डेटा शुल्क में वृद्धि" के भाग (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध।

प्रति जीबी औसत वायरलेस डेटा की वर्ष-वार राजस्व प्राप्ति (दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए)।

क्र. सं.	अवधि	प्रति जीबी औसत वायरलेस डेटा राजस्व की कुल प्राप्ति (रूपये में)	प्रतिशत में कमी/वृद्धि
1	वित्त वर्ष 2021-2022	9.93	-
2	वित्त वर्ष 2022-2023	10.38	4.46
3	वित्त वर्ष 2023-2024	9.12	-12.12
4	वित्त वर्ष 2024-2025	8.97	-1.67

*****